

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत सहायक कलेक्टर बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

जवाराराम

बनाम

अणदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 118/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख यद्म जो इस हुक्म की तामिल में जारी है।
10/08/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलान्त के वकील श्री प्रेमराज पंवार ने यह वादपत्र धारा 53, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया जो दर्ज, रजिस्टर हो, प्रतिवादीगण जरिये नोटिस समन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/09/2021 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर </p>	
29/09/2021	<p>वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादीगणों के समन तामिल अफम तामिल अप्राप्त/श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिग्नर कार्या में अस्त होने से मिशल इलवा होकर आगामी दिनांक 12/04/2022 को पेश हो।</p>	
12/04/2022	<p>वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादीगणों के नोटिस तामिल अफम तामिल अप्राप्त/श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिग्नर कार्या में अस्त होने से मिशल इलवा होकर आगामी दिनांक 21/06/2022 को पेश हो।</p>	

A

सिवासे

21/06/2022

वादी वहील उपो-यत। प्रतिवादीगणों के सम्मन
तामिल मद्रम तामिल मद्रम। वादी वहील प्रतिवादीगणों
का सम्मन तलवानों मध्य रजिस्ट्री अर्थात् पुनः पैग
कटे, पैग टोने पर जारी डोडर पत्तावली दि-नो 04/07
को पैग हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

04/07/2022

वादी वहील उपो-यत। वादी वहील द्वारा
शर्तना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है
इस वादीगण व प्रतिवादीगणों के मध्य गाँव के
सौजिज लोगों द्वारा राजीनामा करवा दिया गया
है इस मापस में राजीवाजी हो गये हैं। इस-
परिणत इस उक्त वाद को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं व जरिये विद्रो वल ध्यारीज उरवाना
चाहते हैं।

मनः वादी वहील द्वारा प्रस्तुत शर्तना-
पत्र को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद
जरिये विद्रो वल ध्यारीज किया जाता है। पत्तावली
मामल गुमार केकर दर्ज नम्बर से उस को दायित्व
दफतर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाइमेर